


## FORM NO. |||

फर्द अहकाम  
नियम (20)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....  
 नाबा सावन बन्नाम सरमा..... किस्म मु०.....  
 मिसल न० 36/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मग इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
14/8/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी सावन कुमार ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम नाबा० सावन पुत्र परस्या बैरवा नि० निमोला नाम दर्ज है। जमावदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 1202/379, 1203/709, 1204/714 में काशतगार का नाम सावन पुत्र परस्या दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की सम्बधित पटवारी भू अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम सावन पुत्र परस्या के स्थान पर सावन पुत्र परसराम नाम दर्ज किया जावे । आज दिनांक 14/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">             उपखण्ड अधिकारी            इटावा         </p>	